

TELEPHONE HEARING INSTRUCTIONS

कृपया "कैस एक प्रारंभिक निर्धारण अपील करें और एक सुनवाई में भाग लें" पुस्तिका की समीक्षा करें, जिसे पहले आपको मेल किया गया था। पुस्तिका की प्रतियां और अक्सर फूँटे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर डीईएस

वेबसाइट www.xxx.nc.gov पर उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण: सुनवाई के लिए तैयार रहें। समीक्षा बोर्ड ने सुनवाई करने के लिए सुनवाई अधिकारी नियुक्त किया है। समीक्षा बोर्ड के लिए सुनवाई अधिकारी आपको सुनवाई शुरू करने के लिए बुलायेंगे। यदि आप टेलीफोन सुनवाई के लिए लेट हो जाते हैं, तो सुनवाई शुरू होने के बाद आप सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं। यदि सुनवाई अधिकारी सुनवाई के शुरुआती समय से 15 मिनट के भीतर फोन पर किसी भी पार्टी तक पहुंचने में असमर्थ होता है, तो सुनवाई केवल उन पार्टियों के साथ की जा सकती है जो उपस्थित हैं या अगर अपील करने वाली पार्टी की विफलता दिखाई दे रही है तो अपील को बर्खास्त किया जा सकता है। अगर कोई अपील करनेवाला पक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 15 मिनट या उससे अधिक समय के लिए देर से उपस्थित होता है, तो सुनवाई अधिकारी आवेदन को खारिज कर सकता है और अन्य प्रतिभागियों को सुनवाई छोड़ने की अनुमति दे सकता है। **नोट:** यदि आप अपनी सुनवाई के लिए मोबाइल टेलीफोन का उपयोग कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप मोबाइल के स्पष्ट संकेत रिसेप्शन क्षेत्र में रहें। यदि आप एक लैंड लाइन फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, तो आप यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि आपका टेलीफोन काम कर रहा है और लाइन अन्य उपयोग में नहीं है। आपके टेलीफोन से सम्बंधित समस्याओं के कारण सुनवाई में भाग लेने में विफलता के परिणामस्वरूप आपके साक्ष्य अमान्य हो सकते हैं, या आपकी अपील खारिज हो सकती है।

अगर आपका टेलीफोन नंबर सुनवाई के लिए समन्स पर नहीं दिखाया गया है, या यदि दिखाया गया टेलीफोन नंबर गलत है, तो सुनवाई अधिकारी को सूचित टेलीफोन सुनवाई प्रश्नावली पर सही जानकारी दर्ज करके तुरंत वापस करें। अगर आपका टेलीफोन सेवा में नहीं है, तो आप सुनवाई के लिए अपने स्थानीय North Carolina वाणिज्य विभाग के, वर्कफोर्स सॉल्यूशंस डिवीजन (डीडब्ल्यूएस) जॉब सर्विस ऑफिस विभाग को रिपोर्ट कर सकते हैं। सुनवाई अधिकारी को पहले से सूचित करें कि आप सुनवाई के लिए स्थानीय डीडब्ल्यूएस कार्यालय में फोन करवाना चाहते हैं। आपको निश्चित किये गए सुनवाई के समय के कम से कम पंद्रह (15) मिनट पहले नौकरी सेवा कार्यालय में रिपोर्ट करनी चाहिए। स्थानीय कार्यालय में किसी कर्मचारी को सूचित करें कि आप टेलीफोन सुनवाई के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं।

साक्ष्य कैसे दें: शपथ पत्र की आवश्यकता है। यदि आप गवाहों का बयान देना चाहते हैं, तो उन्हें सुनवाई में ऐसा करना होगा। यदि आपके पास दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग या अन्य साक्ष्य हैं जिस पर आप समीक्षा बोर्ड द्वारा विचार चाहते हैं, तो उन्हें सुनवाई अधिकारी और प्रत्येक पार्टी को आपको मेल करना होगा या भेजना होगा। साक्ष्य सुनवाई के पहले पहुंच जाना चाहिए। यदि आपके पास साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेज हैं, तो उन्हें सुनवाई अधिकारी को सुनवाई से कम से कम पांच (5) दिन पहले प्राप्त करने के लिए मेल करें। आपको सुनवाई से पहले अन्य पक्षों और रोजगार सुरक्षा विभाग के अटॉर्नी को भी दस्तावेजों की प्रतियां मेल करना चाहिए।

वैधानिक प्रतिनिधित्व: दावेदार या नियोक्ता स्वयं अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं और प्रशासनिक अपील प्रक्रिया में खुद (समर्थक) का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, या एक कानूनी प्रतिनिधि अपील फाइल कर सकते हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कानूनी प्रतिनिधियों को किसी भी प्रशासनिक सुनवाई या समीक्षा से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। कानूनी प्रतिनिधि (नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली थर्ड पार्टी कंपनी के व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या जनरल स्टेट चैंप्टर 84 और § 96-17(बी) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा पर्यवेक्षित व्यक्ति होना चाहिए। वकील पर्यवेक्षण के नोटिस और/ या प्रमाणीकरण लिखित में होने चाहिए।

विलंबन: मामले की सुनवाई केवल सुनवाई अधिकारी ही जारी रख सकते हैं। असुविधा और अतिरिक्त व्यय होने के कारण, सुनवाई जारी रखने की इजाजत केवल सीमित परिस्थितियों में ही दी जाएगी। जारी रखने का अनुरोध करने के लिए, सुनवाई अधिकारी को फोन करें और सुनवाई की तारीख से पहले अपना लिखित अनुरोध भेजें।

सम्मन: सुनवाई अधिकारी गवाहों और दस्तावेजों के लिए उपस्थिति पत्र जारी कर सकता है जो सुनवाई के लिए प्रासंगिक हैं। सुनवाई अधिकारी को जितनी जल्दी हो सके अनुरोध करें, जिससे सुनवाई से पहले सम्मन की तामिल हो सके और साक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कानूनी प्रतिनिधि अपने स्वयं के व्यय और विवेक पर सम्मन जारी कर सकते हैं।

TELEPHONE HEARING QUESTIONNAIRE

सुनवाई अधिकारी: **John Q Lawyer**

सुनवाई तिथि: जनवरी 99999

डॉके नम्बर: टैक्स -3915

कृपया अपने आगामी कर सुनवाई के लिए सहभागियों के नाम और टेलीफोन नंबर के साथ इस फॉर्म को वापस करें

नोट: यदि आप अपनी सुनवाई के लिए एक मोबाइल टेलीफोन का उपयोग करनेवाले हैं, तो यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप स्पष्ट संकेत रिसेप्शन वाले क्षेत्र में हैं, और यह कि आपके फ़ोन को एक घंटे या उससे अधिक समय तक लाइन पर रहने के लिए पर्याप्त रूप से चार्ज कर लिया गया है। यदि आप एक लैंड लाइन का उपयोग करनेवाले हैं, तो आप यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि आपका टेलीफोन काम कर रहा है और लाइन अन्य उपयोग में नहीं है। आपके टेलीफोन के साथ समस्याओं के परिणामस्वरूप सुनवाई में भाग लेने में विफलता होने पर आपके साक्ष्य को नहीं माना जाएगा, या आपकी अपील को खारिज कर दिया जाएगा।

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने गवाहों के नाम, टेलीफोन नंबर के साथ सुनवाई अधिकारी को प्रदान करें। आपको अपने गवाहों को निर्दिष्ट समय पर टेलीफोन कॉल के लिए तैयार रहने के लिए भी कहना चाहिए।

कृपया उन सभी लोगों की सूची सुनवाई अधिकारी को दें जिन्हें आप, आपकी सुनवाई में बुलाना चाहते हैं। यदि आप दावेदार या नियोक्ता हैं जो इस फॉर्म को भर रहे हैं और आप सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं, तो कृपया अपना नाम और टेलीफोन नंबर सूचीबद्ध करें।

सुनवाई सहभागी	
<input type="checkbox"/> दावेदार	<input type="checkbox"/> या कर्मचारी
के लिए	
<input type="checkbox"/> या रोज़गार सुरक्षा विभाग	
नाम _____	ऐरिया कोड + टेलीफोन नंबर _____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट का उपयोग करें	

महत्वपूर्ण: यदि आपके पास फोन सेवा नहीं है, तो कृपया अपने निकटतम जॉब सर्विस ऑफिस को रिपोर्ट करें। सुनवाई से 15 मिनट पहले आएं। रिसेप्शनिस्ट को बताएं कि आप वहां की रोजगार सुरक्षा विभाग और बोर्ड ऑफ रिव्यू के साथ टेलीफोन कर सुनवाई के लिए आए हैं।

डिवीजन ऑफ़ वर्कफोर्स सॉल्यूशंस
जॉब सर्विस कार्यालय स्थान (शहर, राज्य)

ऐरिया कोड + टेलीफोन नंबर

इस फॉर्म को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी।

नाम _____ शीर्षक _____

हस्ताक्षर _____ दिनांक _____

कृपया इस प्रश्नपत्र को यथासंभव शीघ्र वापसी दें।

मेल करें: Hearing Officer, Board of Review, Post Office Box 28263, Raleigh, NC 27611

आप (919) 733-8745 पर फ़ैक्स भी कर सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए आप सुनवाई अधिकारी को (919) 707-1025 पर फोन कर सकते हैं